क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश

कार्यक्रम का नाम– ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति की मासिक बैठक का आयोजन एवं अनुश्रवण।

बजट/एफ.एम.आर. शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर)– ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति की मासिक बैठक का आयोजन एवं अनुश्रवण।

बजट क्रम संख्या/एफ.एम.आर. कोड संख्या (अनुलग्नक 2 के आधार पर)– B15.1.4.1

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण:

अवधारणा: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ''ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति " के गठन की अवधारणा है। इस समिति में पंचायत के अन्तर्गत आने वाले सभी राजस्व ग्राम के आधार पर Fund मुहैया कराया जाता है, जिसमें राजस्व ग्राम के सभी टोलों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण स्तर पर जनस्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता एवं पर्यावरण रख–रखाव को भी सुनिश्चित करना है।

वित्तीय दिशा–निर्देशन

प्रक्रिया (वित्तीय वर्ष 2014–15 में राशि की उपयोगिता)–

- **कंडिका (क)**– वित्तीय वर्ष 2014–15 में पंचायत स्तर पर गठित एवं कार्यरत "लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति–सह– ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति " की मासिक बैठक, **प्रत्येक माह के अन्तिम शनिवार** को आयोजित करने के लिए एक सौ रुपये पच्चीस रूपये (Rs 125) त्रैमासिक दर पर उपलब्ध करायी जा रही है।

  उक्त मासिक बैठक की कार्यवाही एवं उपस्थिति पंजी संबंधित ए.एन.एम. द्वारा संधारित की जायेगी तथा इसमें होने वाले व्यय को भी इसी पंजी में संधारित किया जायेगा जिसे आवश्यकतानुसार सार्वजनिक किया जा सकता है।

- **कंडिका (ख)– ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति के बैठकों में प्रखण्ड स्तर के पदाधिकारियों की भागीदारी:**– वित्तीय वर्ष 2014–15 में पंचायत स्तर पर गठित एवं कार्यरत "लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति–सह– ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति " की आयोजित त्रैमासिक बैठक जो प्रत्येक माह के अन्तिम शनिवार को किया जाना है, में प्रखण्ड स्तर के पदाधिकारियों की भी भगीदारी सुनिश्चित करनी है। इसके लिए उक्त "लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति–सह–ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति" जिस प्रखण्ड/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत आते है उसके प्रखण्ड स्वास्थ्य प्रबंधक (BHM), प्रखण्ड सामुदायिक उत्प्रेरक (BCM), चिकित्सा पदाधिकारी, चिकित्सा पदाधिकारी–आयुष, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (CDPO) तथा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी (MOIC) द्वारा उक्त बैठक का अनुश्रवण किया जाना है। अनुश्रवण व्यय राषि भुगतान का आधार यह है कि संबंधित पदाधिकारी द्वारा अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण के दौरान राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे प्रपत्र **(संलग्न)** में VHSNC बैठक स्थल पर सूचना एकत्र कर वहां उपस्थित VHSNC चेयरमैन/अध्यक्ष, ए..एन. एम. एवं कोई एक अन्य सदस्य जो बैठक में उपस्थित हो से हस्ताक्षर करवाकर, उक्त प्रपत्र को संबंधित

344

प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को समर्पित करने के उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा। यहाँ यह उल्लेखित करना उचित होगा कि एक बैठक में उपर्युक्त वर्णित पदाधिकारियों में से कोई एक हीं पदाधिकारी एक बैठक में भाग ले सकेगें तथा अन्य पदाधिकारी अन्य बैठक में भाग लेगें। जैसा कि ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस से संबंधित राज्य स्वास्थ्य समिति के पत्रांक संख्या SHSB/GenAdmin/256/2010/24613 दिनांक–15/03/11 में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को उल्लेखित समिति की बैठक आयोजित की जानी है जिसमें संबंधित पदाधिकारियों की भागीदारी अनिवार्य है। इसके आयोजन से संबंधित एक **Film** सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंन्द्र पर प्रदर्षित करने का निदेष पूर्व में दिया गया है। प्रभारी चिकित्सा पदाधकारी यह सुनिष्चित करेगें की माह में एक बार इस **Film** को ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति तथा इसके अन्तर्गत निगरानी समिति के सदस्यों यथाः– ए.एन.एम., आषा, इत्यादि को प्रखण्ड स्तर पर प्रदर्षित किया जाए, जिससे इन समिति के सदस्यो को प्रत्येक माह के अन्तिम शनिवार को बैठक करने की कार्यशैली विकसित की जा सके। यदि किसी कारणवष यह बैठक निर्धारित दिवसों के अतिरिक्त किसी अन्य तिथि को बैठक का आयोजन किया जाता है तो संबंधित ए.एन.एम. की यह जवाबदेही होगी कि पूर्व में हीं परिवर्तित तिथि एवं दिवस की सूचना प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को एवं प्रखण्ड स्वास्थ्य प्रबंधक/प्रखण्ड सामुदायिक उत्प्रेरक को दिया जाय। तत्पश्चात प्रखण्ड सामुदायिक उत्प्रेरक/प्रखण्ड स्वास्थ्य प्रबंधक संबंधित पदाधिकारियों को समय से पुर्व सूचित कर देगें। इस बैठक में प्रखण्ड स्तर से उपर्युक्त वर्णित पदाधिकारियों की अधिकतम उपस्थिति के लिए आवश्यक है कि पंचायत स्तर पर गठित उक्त समिति के मासिक बैठक की तिथि पूर्व निर्धारित एवं प्रचारित हो जिससे इस बैठक का पर्यवेक्षण अच्छी तरीके से हो सके। किसी भी पंचायत में उक्त समिति की मासिक बैठक को साल में अधिकतम तीन बार ही वर्णित पदाधिकारी द्वारा अनुश्रवण किया जायेगा ताकि प्रखण्ड/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत आने वाले सभी पंचायत की उक्त समिति की मासिक बैठक का अनुश्रवण किया जा सके। अनुश्रवण राषि का भुगतान त्रैमासिक होगा।

इकाई राशिः

- @Rs. 125/-प्रति त्रैमासिक VHSNC बैठक का अनुश्रवण करने के लिए VHSNC के खाते में हस्तांतरित कर दी जायेगी।

नोटः– प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारी प्रस्तावित VHSNC की बैठक का पर्यवेक्षण करेंगे, एक बैठक में एक पदाधिकारी होगें।

FMR Code - B15.1.4.1

वित्तीय रख–रखाव

राशि उपयोग करने के तरीके:–

- **कंडिका (क) के लिए**– 125/–रूपये त्रैमासिक की दर से ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठक आयोजित करने के लिए उपलब्ध करायी जा रही है। इस राशि के उपयोग की जवाबदेही पंचायत स्तर पर गठित "लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता समिति को होगी। जहां तक उपयोग की गयी राशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र का प्रश्न है समिति द्वारा मासिक रूप से ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति की मासिक बैठक के आयोजन में किये गये खर्च का ब्यौरा सिर्फ समिति के अध्यक्ष एवं सचिव के हस्ताक्षर के उपरान्त संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को भेजी जाएगी यहां यह उल्लेखित करना आवश्यक है कि उपयोगिता प्रमाण–पत्र के साथ कोई भी विपत्र भेजने की आवश्यकता नही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी का दायित्व होगा कि समिति से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र को संकलित कर विहित प्रपत्र में जिला स्वास्थ्य समिति को प्रेषित करेगी।
- **कंडिका (ख) के लिए**–125/–रूपये की प्रोत्साहन राशि उपर्युक्त वर्णित पदाधिकारियों को ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति की मासिक बैठक में भाग लेने पर प्रदान किया जाना है। विदित हो कि ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति के बैठक की अनुश्रवण मद की राशि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर गठित रोगी कल्याण समिति के एकाउन्ट में जमा रहेगी तथा जब भी कोई उपर्युक्त वर्णित पदाधिकारियों में से कोई पदाधिकारी ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठक में भाग लेगें तथा राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा इस कार्य के लिए उपलब्ध कराये जा रहे संलग्न प्रपत्र में सभी सूचनाएं एकत्र कर एवं आवष्यक हस्ताक्षर प्राप्त कर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को उपलब्ध कराएगें, जिसके आधार पर उन्हें निर्धारित की गई राशि का भुगतान किया जायेगा। कुल भुगतेय प्रोत्साहन राशि का वितरण संकलित कर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र इस राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में जिला स्वास्थ्य समिति को प्रेषित करेगी।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं. तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) 9087, Dated 03.02.2009 (ख) 9219, Dated 21.02.2009 (ग) 24613, Dated 15.03.11

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम– **डॉ० राज नारायण द्विवेदी**
संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नम्बर– **9934409075**

FMR Code - B15.1.4.1

346